

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 60,000/- (साठ हजार) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 60,000/- (साठ हजार) रुपयये पीडित अभय यादव पुत्र श्रीरामजनम यादव निवासी ग्राम मुंगमास जनपद मऊ की कुल 60,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. प्राभारी निरीक्षक महोदय श्री रवीन्द्रनाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
2. नोडल अधि० उ०नि० उमाशंकर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. सहायक नोडल अधिकारी उ०नि० प्रियंका सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. कम्प्यूटर आपरेटर अभिजीत पटेल थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
5. म०का० सविता मौर्या थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
6. म०का० उर्वशी शुक्ला थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

फोन चोरी हो जाने के बाद अंजान व्यक्ति द्वारा 10,900/- (दस हजार नौ सौ) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय

के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये फोन चोरी हो जाने के बाद अंजान व्यक्ति द्वारा 10,900/- (दस हजार नौ सौ) रुपये पीडित दिलीप कुमार पुत्र शिवचंद राजभर निवासी दरगाह थाना मधुबन मऊ की कुल 10,900 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. उ0नि0 दीपनारायण,
2. म0उ0नि0 प्रियंका सिंह,
3. क0आ0 पवन सिंह,
4. का. अजीत कुमार पाल
5. म0आ0 बिन्दू पटेल

रिस्तेदार बनकर अंजान व्यक्ति द्वारा 12889/- (बारह हजार आठ सौ नवासी) रुपये थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना रानीपुर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये रिस्तेदार बनकर अंजान व्यक्ति द्वारा 12889/- (बारह हजार आठ सौ नवासी) रुपये पीडित गुप्ता पुत्र अनंत कृष्णन पुत्र हरिहर निवासी काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ की कुल 12889 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना रानीपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. उ0नि0 रामाज्ञा कुमार
2. म0उ0नि0 सुधा अग्रहरि
3. क0आ0 अब्दुल रब
4. म0आ0 प्रियंका मिश्रा

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 26.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त परवेज पुत्र अमीरुल हसन निवासी शाही कटरा थाना कोतवाली नगर, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुधीर सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी अल्देमऊ थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।